कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला बुरहानपुर (म.प्र.)

क्रमांक– 58 /एक–15–10/15 बुरहानपुर, दिनांक : 27.02.2025

:: आदेश ::

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुरहानपुर के अवकाश पर होने को दृष्टिगत रखते हुये, माह मार्च, 2025 के सार्वजनिक अवकाश के दिनों में 03:00 बजे से 05:00 बजे तक रिमाण्ड कार्य संपादित करने हेतु निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है। निम्न कॉलम में दर्शाये गये न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा नियत दिनांक पर अपने स्टॉफ सहित दोपहर 03:00 बजे से 05:00 बजे तक स्वयं के न्यायालय में उपस्थित होकर जिला मुख्यालय बुरहानपुर (म.प्र.) के सभी न्यायालय तथा तहसील नेपानगर जिला बुरहानपुर के न्यायालय में सप्ताह में एक दिन लिंक कोर्ट होने से उक्त न्यायालय के रिमाण्ड संबंधी सभी आवश्यक कार्य निष्पादित किये जावेंगे।

माह–मार्च, 2025		
क.	**पीठासीन अधिकारी का नाम एवं पद**	**अवकाश की तिथियां**
1.	श्री देवेश मिश्रा, न्या.म.प्र.श्रे. बुरहानपुर	15.03.2025 व 16.03.2025
2.	श्रीमती संध्या देवेश मिश्रा, न्या.म.प्र.श्रे. बुरहानपुर	14.03.2025 व 23.03.2025
3.	श्री गुरूवेन्द्र हुरमाड़े, न्या.म.प्र.श्रे. बुरहानपुर	09.03.2025 व 19.03.2025
4.	श्रीमती आरती गौतम, न्या.म.प्र.श्रे. बुरहानपुर	01.03.2025, 02.03.2025, 30.03.2025 व 31.03.2025

1. उपरोक्तानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट, उपरोक्त दर्शित तिथियों में सायं. 3 बजे से 5 बजे तक रिमाण्ड एवं आपराधिक प्रकरणों से संबंधित अत्यावश्यक कार्य अपने न्यायालय में संपादित करेंगे।

2. उपरोक्त माह मार्च, 2025 में कोई अन्य शासकीय अवकाश घोषित होने पर निम्नांकित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जावेगी :–

   माह मार्च 2025 :–1. श्रीमती संध्या देवेश मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुरहानपुर।
   2. श्री देवेश मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुरहानपुर।

3. उक्त रिमाण्ड ड्यूटी अनुसार संबंधित न्यायालय में पदस्थ कर्मचारीगण अपने–अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहेंगे।

4. रिमाण्ड डयूटी में परिवर्तन अपरिहार्य परिस्थितियों में ही पूर्व सूचना दिये जाने पर अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

5. उपरोक्त रिमाण्ड ड्यूटी अनुसार संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी अपरिहार्य कारण से मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति चाहते हैं तो, ऐसे मजिस्ट्रेट उनके स्थान पर रिमाण्ड ड्यूटी करने के लिये सहमत होने वाले मजिस्ट्रेट की सहमति, मय हस्ताक्षर के, रिमाण्ड ड्यूटी से पूर्व अवगत कर आवेदन प्रस्तुत करें।

6. यदि कोई सार्वजनिक अवकाश निरस्त होकर उसके आगामी कार्य दिवस या पूर्व के कार्य दिवस में परिवर्तित होता हैं तो संबंधित अवकाश को नियत की गयी रिमांड करने वाले मजिस्ट्रेट के द्वारा ही रिमाण्ड ड्यूटी उस अनुसार की जावेगी।

7. यदि किसी कारणवश सूची में दर्शित तिथि के अलावा अन्य सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाता है, तो निम्नानुसार अनुसूची में वर्णित कॉलम नं. 02 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड संपादित करेंगे एवं कॉलम नं. 02 के न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने पर कॉलम नं. 03 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा कॉलम नं. 03 के न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने से कॉलम नं. 04 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा रिमाण्ड कार्य संपादित किया जावेगा।

8. **यदि मुख्यालय पर किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का अपरिहार्य कारण से एवं संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट की सहमति के बगैर अवकाश या अन्य युक्तियुक्त कारण से मुख्यालय में उपस्थित नहीं है तो उनके स्थान पर कार्य विभाजक पत्रक अनुसार प्रभारी मजिस्ट्रेट द्वारा रिमांड डयूटी संपादित की जायेगी।**

//अनुसूची//

जिला न्यायालय बुरहानपुर।

अवकाश	**प्रथम प्रभारी**	**द्वितीय प्रभारी**	**तृतीय प्रभारी**
01	02	03	04
प्रथम घोषित सार्वजनिक अवकाश	श्रीमती संध्या देवेश मिश्रा, न्या.म.प्र.श्रे. बुरहानपुर	श्री देवेश मिश्रा, न्या.म.प्र.श्रे. बुरहानपुर म.प्र.	श्रीमती गुरूवेन्द्र हुरमाड़े न्या.म.प्र.श्रे. बुरहानपुर म.प्र.
द्वितीय घोषित सार्वजनिक अवकाश	श्री देवेश मिश्रा, न्या.म.प्र.श्रे. बुरहानपुर म.प्र.	श्रीमती आरती गौतम न्या.म.प्र.श्रे. बुरहानपुर	श्रीमती गुरूवेन्द्र हुरमाड़े न्या.म.प्र.श्रे. बुरहानपुर म.प्र.

9. उक्त सूची में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण या पदोन्नति हो जाने के फलस्वरूप उनके स्थान पर पदभार ग्रहण करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट उस दिनांक को रिमाण्ड कार्य संपादित करेंगे एवं यदि किसी कारणवश दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय रिक्त हो जाता है या स्थानांतरित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पदभार ग्रहण नही किया जाता है तो उस दिनांक को रिमाण्ड कार्य उपरोक्त वर्णित अनुसूची के अनुसार प्रथम घोषित सार्वजनिक अवकाश में उल्लेखित क्रमशः प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा एवं उनके भी अवकाश पर होने से द्वितीय घोषित सार्वजनिक अवकाश में उल्लेखित क्रमशः प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जावेगा।

10. रिमाण्ड न्यायालय अपने न्यायालय की रिमाण्ड ड्यूटी दिनांक की सूचना अपने न्यायालय के रिमाण्ड पेनल सूची के अधिवक्ताओं को प्रदान करें।

सही/–
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बुरहानपुर (म0प्र0)

पृ. कमांक 428/एक–15–1/15 बुरहानपुर, दिनांक : 27.02.2025

प्रतिलिपि :–

1. प्रस्तुतकार, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला बुरहानपुर (म0प्र0)
2. श्री देवेश मिश्रा/श्रीमती संध्या देवेश मिश्रा/श्री गुरुवेन्द्र कुमार हुरमाड़े/श्रीमती आरती गौतम, न्या.म.प्र.श्रे. बुरहानपुर (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला बुरहानपुर (म0प्र0) की ओर भेजकर लेख है कि, संबंधित थाना प्रभारियों को कृपया सूचित कराने का कष्ट करें।
4. जिला अभियोजन अधिकारी, जिला बुरहानपुर (म0प्र0)
5. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, जिला न्यायालय बुरहानपुर (म0प्र0)
6. प्रभारी अधिकारी महोदय, कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय बुरहानपुर (म0प्र0)
7. प्रस्तुतकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला बुरहानपुर (म0प्र0)
8. कार्यालय अनुभाग, जिला न्यायालय बुरहानपुर (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9. सिस्टम आफीसर/सहायक सिस्टम आफिसर/सहायक ग्रेड–3, कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय बुरहानपुर (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. जिला नाजीर, जिला न्यायालय बुरहानपुर (म0प्र0) की ओर नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु प्रेषित।

नोटः– **म.प्र.शासन की ई–मेल योजना–2014 एवं माननीय उच्च न्याालय म.प्र. के ज्ञापन कं.Reg (SA)/2014/979, दिनांक–20.04.2017 के अनुसार ई–मेल द्वारा प्राप्त पत्राचार को मान्य किया गया है।**

27/2/25

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बुरहानपुर (म0प्र0)